

## अपतानी वस्त्र उत्पाद

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक फरम द्वारा अरुणाचल प्रदेश अपतानी कपड़ा उत्पाद के लिये [भौगोलिक संकेत \(जीआई\) टैग](#) की मांग हेतु आवेदन किया गया है।



### प्रमुख बांधु:

#### परचियः

- अपतानी बुनाई अरुणाचल प्रदेश की अपतानी जनजाति से संबंधित है जो लोअर [सुबनसरी ज़लि](#) के मुख्यालय ज़ीरो वैली में नविस्त करती है।
  - अपतानी समुदाय अनुष्ठानों और सांस्कृतिक उत्सवों सहित वभिन्न अवसरों के लिये स्वयं अपने वस्त्र बुनते हैं।
- इस जनजाति के लोगों द्वारा बुना गया कपड़ा इसके ज्यामतीय और ज़गिज़ेग पैटर्न तथा कोणीय डिज़ाइनों के लिये भी जाना जाता है।
  - यह जनजाति मुख्य रूप से जगि ज़ीरो और ज़लिन या जैकेट के रूप में जानी जाने वाली शॉल बुनती है जिसे [सुपुंतरी](#) (supuntari) कहा जाता है।
- यहाँ के लोग अपने पारंपरिक तरीकों से सूती धागे को जैविक रूप में ढालने के लिये वभिन्न पत्तियों और पौधों जैसे संसाधनों का उपयोग करते हैं।
  - केवल महलिएँ ही इस पारंपरिक बुनाई कार्य में लगी हुई हैं।
- इस जनजातिका पारंपरिक हथकरघा एक प्रकार का करघा है जिसे चचिनि कहा जाता है और यह नशिजिनजाति के पारंपरिक हथकरघा के समान है।
  - यह पोर्टेबल, स्थापति करने में आसान और एक ही बुनकर वशीष रूप से समुदाय की महलिया सदस्यों द्वारा संचालित किया जाता है।

#### अपतानी जनजाति:

- अपतानी अरुणाचल प्रदेश में ज़ीरो घाटी में रहने वाले लोगों का एक आदविसी समूह है।
- वे तानी नामक एक स्थानीय भाषा बोलते हैं और सूर्य तथा चंद्रमा की पूजा करते हैं।
- वे एक स्थायी सामाजिक वानकी प्रणाली का पालन करते हैं।
- वे प्रमुख त्योहार ड्री (Dree) को भरपूर फसल और प्रारथना के साथ सभी मानव जातिकी समृद्धिके लिये तथा मायोको (Myoko) को दोस्ती के जशन के लिये मनाते हैं।
- अपतानी अपने भूखंडों पर चावल की खेती के साथ-साथ जलीय कृषि का अभ्यास करते हैं।
  - घाटी में राइस-फिश कल्चर (Rice-fish Culture) राज्य में एक अनूठी प्रथा है, जहाँ चावल की दो फसलें (मणिया और इमोह) तथा मछली की फसल (नगाही) एक साथ उगाई जाती है।
- यह अरुणाचल प्रदेश में एक [अनुसूचित जनजाति](#) है।

### अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान जीआई उत्पाद:

- अरुणाचल नारंगी (कृष्ण)

इन्हु मशिमी टेक्स्टाइल्स (हस्तशलिप)

### अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ:

अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों में शामिल हैं: अबोर, उरफ, डफला, गैलोंग, खम्पटी, खोवा, मशिमी, मोनपा, मोम्बा, कोई भी नागा जनजाति, शेरड़ुकपेन, सगिफो।

## भौगोलिक संकेतक/जीआई टैग (GI):

### ■ जीआई टैग के बारे में:

- भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication) का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिये किया जाता है, जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशिष्ट वशिष्टता एवं प्रतिषिद्धि भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। कसी उत्पाद को दिया गया टैग जो जीआई के रूप में कारबंदी करता है उस उत्पाद के मूल स्थान की पहचान के रूप में कारबंदी करता है।
- इसका उपयोग कृष्ण, पराकृति और नरिमति वस्तुओं हेतु किया जाता है।

### ■ GI के लिये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा:

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई औद्योगिक संपत्तिके संरक्षण हेतु पेरसि कन्वेंशन के तहत **बौद्धिक संपदा अधिकारों** (Intellectual Property Rights- IPRs) के एक घटक के रूप में शामिल है।
  - वर्ष 1883 में अपनाया गया पेरसि कन्वेंशन व्यापक अर्थों में औद्योगिक संपत्तिपर लागू होता है, जिसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइन, उपयोगिता मॉडल, सेवा चहिन, व्यापारिक नाम, भौगोलिक संकेत और अनुचित प्रतिसिद्धि करना शामिल है।
- इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI का विनियमन **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** के **बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं** (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS) पर समझौते के तहत किया जाता है।

### ■ भारत में GI सरक्षण:

- भारत ने **विश्व व्यापार संगठन** (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य के रूप में माल के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 को अधिनियमित किया, जो वर्ष 2003 से प्रभावी हुआ।
  - यह अधिनियम भारत में जीआई सामानों के पंजीकरण और उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है।
  - यह अधिनियम पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानयित्रक द्वारा प्रशासित है, जो भौगोलिक संकेतकों के रजिस्ट्रार भी है।
- भारत के लिये भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई में स्थिति है।
- भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिये वैध होता है। इसे समय-समय पर 10-10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि हेतु नवीनीकृत किया जा सकता है।
- भारत में भौगोलिक संकेतकों के कुछ उदाहरणों में बासमती चावल, दार्जिलिंग चाय, कांचीपुरम रेशम साढ़ी, नागपुर की नारंगी और कोलहापुरी चप्पल शामिल हैं।

### ■ जीआई टैग का लाभ:

- यह भारत में भौगोलिक संकेतक को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।
- दूसरों द्वारा कसी पंजीकृत भौगोलिक संकेतक के अनधिकृत प्रयोग को रोकता है।
- यह भारतीय भौगोलिक संकेतक को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है जिसके फलस्वरूप नरियात को बढ़ावा मिलता है।
- यह संबंधित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धिको बढ़ावा देता है।

## स्रोत: द हंडू